5. योजना और प्रशासन के क्षेत्र में :–

(क) गाँव के विकास के लिए योजनाएँ तैयार करना;

(ख) राज्य सरकार के मृदा सुधार परियोजनाओं के क्रियान्वयन मे सहायता प्रदान करना;

(ग) बेरोजगारों के लिए रोजगार के प्रावधानों अथवा गाँव के बेरोजगार निवासियों के साथ गाँव का आर्थिक सर्वेक्षण करना;

(घ) बजट तैयार करना, लेखा का संकलन और रखरखाव करना, कोष की अभिरक्षा और उपयोग, करों का आकलन तथा संकलन और लेखा कोड का अनुरक्षण;

(ङ) गाँव के किसी भी प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता का उपयोग;

(च) गाँव का स्वतंत्र सर्वेक्षण करना अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा हाथ में लिए गए ऐसे सर्वेक्षण को सहायता प्रदान करना;

(छ) ग्राम परिषद द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा प्रबन्धन;

(ज) पशुशालाओं, खलिहानों, चरागाहों और सामुदायिक भूमि का नियंत्रण;

(झ) मेलों, तीर्थयात्राओं और उत्सवों की स्थापना, अनुरक्षण और नियमन;

(त्र) ऐसी शिकायतों की रिपोर्ट उचित प्राधिकरण को देना जो ग्राम परिषद द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता हो ।

(ट) ग्राम परिषद रिकार्डों को तैयार करना, अनुरक्षण करना और बनाए रखना;

(ठ) राज्य सरकार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा बताई गई तरीको से जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण करना;

(ड) परिसरों का संख्या लगाना ।

6. सामुदायिक विकास के क्षेत्र में :–

(क) विकलागों, निराश्रितों और रोगियों को राहत;

(ख) आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों के सहकारी गतिविधियों का आयोजन, प्रोत्साहन तथा सहायता;